

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE  
GOVT. OF NCT OF DELHI  
GLNS COMPLEX, DELHI GATE, N. DELHI-02  
(ADMINISTRATION BRANCH)


F.6(3)/86/DSW/Estt./ 1047

Dated: 29/08/22

Sub: Amendment in RRs to the post of Principal, Govt. Sr. Sec. School for Blind Boys (GSSSBB)– Reg.

Please find enclosed a copy of Delhi Gazette Notification regarding amendment in RRs to the post of Principal, Govt. Sr. Sec. School for Blind Boys (GSSSBB), Department of Social Welfare, GNCTD for uploading the same on the website of this Department.

Encl: As above



(Rahul Aggarwal)  
Dy. Director (Admn-I)

To

Sr. System Analyst  
IT Branch, DSW (HQ)

383/CC  
29/8/22

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-20082022-238215  
SG-DL-E-20082022-238215

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 18, 2022/श्रावण 27, 1944	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 225
No. 394]	DELHI, THURSDAY, AUGUST 18, 2022/SHRAVANA 27, 1944	[N. C. T. D. No. 225

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 अगस्त, 2022

फा. सं. 6(3)/86/डीएसडब्ल्यू/स्था0-9786-9792.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना फा. सं. 27/59-एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, समाज कल्याण विभाग की दिनांक 5 दिसम्बर, 1988 की अधिसूचना सं. 8(2)/82/डीएसडब्ल्यू/स्था0 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किये जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से एतद् द्वारा समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक अन्ध बाल विद्यालय (जीएसएसएसबीबी) के पद हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (i) इन नियमों को 'समाज कल्याण विभाग प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक अन्ध बाल विद्यालय (जीएसएसएसबीबी) भर्ती नियमावली, 2022' कहा जायेगा।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :-उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :-उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता :-वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति :-जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक समीचीन है, तो वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. बचाव:-इन नियमों में किसी उल्लेख से केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### अनुसूची

1.	पदनाम	:	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक अन्ध बाल विद्यालय (जीएसएसएसबीबी)
2.	पदों की संख्या	:	01*(2020) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा अलिपिकीय, राजपत्रित, समूह "क"
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12, (78800-2,09,200/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु : लागू नहीं शैक्षणिक योग्यता : लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो	:	पदोन्नति : नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त ग्रेड में 11 वर्षों की

430/c

ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति /समावेशन किया जाना है	<p>सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8(47600 -1,51,100/-रूपये) में स्नातकोत्तर अध्यापक (दृष्टिहीनों के लिए)</p> <p>टीप—जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्त कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।</p>
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	<p>विभागीय पदोन्नति समिति,</p> <p>1.अध्यक्ष /सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग ( अध्यक्ष)</p> <p>2.सचिव, (समाज कल्याण), रा0रा0क्षे0दि0स0 (सदस्य)</p> <p>3.सचिव (शिक्षा), रा0रा0क्षे0दि0स0 (सदस्य)</p> <p>4.निदेशक(समाज कल्याण), रा0रा0क्षे0दि0स0 (सदस्य)</p> <p>विभागीय स्थाईकरण समिति</p> <p>1.सचिव, (समाज कल्याण), रा0रा0क्षे0दि0स0 (अध्यक्ष)</p> <p>2.सचिव (शिक्षा), रा0रा0क्षे0दि0स0 (सदस्य)</p> <p>3.निदेशक(समाज कल्याण), रा0रा0क्षे0दि0स0 (सदस्य)</p> <p>टीप : क्रम सं. 1 एवं 2 पर उल्लिखित अधिकारियों में से वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा विभागीय स्थाईकरण समिति की अध्यक्षता की जाएगी।</p>
13. वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से और उनके नाम पर,

गरिमा गुप्ता, सचिव (समाज कल्याण)

**DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 18th August, 2022

**F. No. 6(3)/86/DSW/Estt./9786-9792.**—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.27/59-Him. (i) dated, the 13<sup>th</sup> July, 1959, and in supersession of the Government of National Capital Territory of Delhi, Department of Social Welfare's Notification no. F.8(2)/82-DSW/Estt. dated 5<sup>th</sup> December, 1988, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi with prior consultation with UPSC, is pleased to make necessary amendment in the rules for the posts of Principal, Govt. Sr. Secondary School for Blind Boys (GSSSBB) in the Department of Social Welfare, Government of National Capital Territory of Delhi, as following namely:

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Department of Social Welfare, Principal, Govt. Sr. Secondary School for Blind Boys (GSSSBB) Recruitment Rules, 2022.

(ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay-The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc.-the method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said schedule.
4. Disqualifications.-No person,-  
 (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or  
 (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,  
 Shall be eligible for appointment to the said post:  
 Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.
5. Power to relax.-Where the Government is of the opinion that it is necessary of expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

1. Name of Post	Principal, Govt. Sr. Sec. School for Blind Boys (GSSSB)
2. Number of posts	01* (2020) *Subject to variation dependent on work load.
3. Classification	General Central Service Non Ministerial, Gazetted, Group "A"
4. Pay Level in the Pay Matrix	Level 12 (Rs.78,800-2,09,200) in Pay Matrix
5. Whether Selection Post / Non Selection Post	Selection Post
6. Age Limits for Direct Recruits	Not Applicable
7. Educational and other Qualification required for direct recruits	Not Applicable
8. Whether age & educational qualifications prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	Age: NA Edu. Qual: NA
9. Period of Probation if any	Two years
10. Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	100% by Promotion
11. In case of recruitment by Promotion/Deputation/Absorption, grades from which Promotion/Deputation/Absorption to be made.	<b>Promotion:</b> Post Graduate Teachers (For Blinds) in Level-8 (Rs. 47600-151100) in the Pay Matrix with 11 years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. <b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	<b>Departmental Promotion Committee</b> 1. Chairman/Member of UPSC (Chairman) 2. Secretary (Social Welfare), GNCTD (Member) 3. Secretary (Education), GNCTD (Member) 4. Director (Social Welfare), GNCTD (Member)

	<b>Departmental Confirmation Committee</b> 1. Secretary (Social Welfare), GNCTD (Chairman) 2. Secretary (Education), GNCTD (Member) 3. Director (Social Welfare), GNCTD (Member) <b>Note:</b> DCC will be chaired by the Senior most officer out of the officers mentioned at Serial Number 1 and 2.
13. Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.	Consultation with the Commission is necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
GARIMA GUPTA, Secy. (Social Welfare)